## In the High Court of Judicature at Allahabad Notice

No. 7747 \_\_\_/2025/Accounts 'C-1', High Court, Allahabad dated: 01.03.2025

All the Departmental Heads are requested to send their recommendations for grant of Honorarium to the Class-II Officers, Class-III Officials (Except Drivers) and Class-IV employees, of the Court, working under their supervision, who have completed 01 year of service and fulfill the criteria as mentioned in G.O. dated 23.03.2015, in prescribed proforma (enclosed herewith) for the Financial Year 2024-2025. Further, no. of staff so recommended must not be more than 50% of working strength. The recommendations must reach the undersigned latest by 18h March 2025.

Ram Kishore Joint Registrar (Accounts-II)

## Copy forwarded for information and necessary actions to:-

- 1) The Senior Registrar, High Court Lucknow Bench, Lucknow,
- 2) The Chief Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice, High Court, Allahabad,
- 3) The P.P.S. (Administration), High Court, Allahabad,

OURT OF JUDICATIONE MIALAHABAD

- 4) The Registrar-cum-Head Bench Secretary, High Court, Allahabad,
- 5) All the Registrar (J), Registrars, Joint Registrar (J), High Court, Allahabad,
- 6) The Joint Registrar (J)(Computers), High Court, Allahabad, with the request to direct the concerned to upload above Notice on the official website of this Court,
- 7) The Registrar/J.R./D.R./A.R.-cum-P.S. to the Registrar General, High Court, Allahabad.
- 8) The Registrar/J.R./D.R./A.R.-cum-P.S. to Special Officer (Vigilance), High Court, Allahabad,

Kamta Nath

Deputy Registrar (Accounts-III)

## In the High Court of Judicature at Allahabad Proforma of Honorarium for the year 2024-2025

SI. No.	Emp. No. & Name of the officers/officials	Designation	Justification and reason, in respect of the officers/officials whose names have been recommended in view of preconditions mentioned in G.O. dated 23.03.2015
1	2	3	4

Signature

Name & Designation of the Departmental Head

IIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

प्रेषक,

अनिरूद्ध सिंह, प्रमुख सचिव, 30प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ- दिनांक 23 मार्च, 2015 विषय- <u>मा0 उच्च न्यायालय के कार्मिकों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।</u> महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निबन्धक (लेखा), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-9363/2014/एकाउन्टस(सी-।), दिनांक 31-10-2014 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आफीसर्स एण्डे स्टाफ (कण्डीशन्स आफ सर्विस एण्ड कण्डक्ट) रूल्स, 2013 के नियम-3 (2) में मा0 उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों से समकक्षता स्थापित है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव ग्रेड-।, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव/समकक्ष वेतनमान के अन्य कार्मिक सहायक समीक्षा अधिकारी एंकके र समकक्ष वेतनमान के अन्य कार्मिक तथा अन्सेवक एवं चतुर्थ श्रेणी के अन्य कार्मिकी को वित्तीय वर्ष के अन्त में वर्ष भर के उत्कृष्ट कार्य, अवकाश के दिनों में आकर कार्य करने एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय समय के बाद देर तक रूककर कार्य करने के उपलक्ष्य में निम्नलिखित दरों पर मानदेय दिये जाने की व्यवस्था सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 50/बीस-1-ई-11-580/89, दिनांक 09-03-2011 में की गयी है। अतः सचिवालय से समकक्षता के आधार पर उन्हीं दरों पर मा0 उच्च न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव ग्रेड-।, बेन्च सेक्रेटरी ग्रेड-। (समकक्ष वेतनमान के अन्य कार्मिकों को) मानदेय तात्कां सिक प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	पदनाम	मानदेय की दरें (रू0 में)
1-	अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी-।, बेन्च	3600/-
	सेक्रेटरी ग्रेड-।	
2-	समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिव	1800/-